

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 826/2025

प्रेम देवी जाट

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (भू अभिलेख), टोंक।
3. श्री सुभाष गालव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मालपुरा, पुरानी तहसील मालपुरा, टोंक।
4. रामेश्वर प्रसाद कुमावत, पटवार मण्डल लवादर, तहसील टोंक।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025

आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष:— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल दोराई, तहसील मालपुरा, टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल बामनिया, तहसील उनियारा में किया गया तथा निजी प्रत्यर्था संख्या-4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी को प्रत्यर्था संख्या-3 की शिकायत पर पत्र दिनांक 07.01.2025 (अनुलग्नक-2) द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी का पति राजकीय सेवा में है तथा ग्राम पंचायत बगड़ी, पंचायत समिति पीपलू जिला टोंक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर स्थानांतरित होकर पदस्थापित है (अनुलग्नक-3)। पति-पत्नी को एक ही या निकटतम

स्थान पर पदस्थापित रखने के लिए स्थानांतरण नीति के विरुद्ध अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से 140 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया गया है, ताकि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया जा सके। अपीलार्थी का स्थानांतरण बार-बार किया गया स्थानांतरण है क्योंकि अपीलार्थी का अंतिम स्थानांतरण 29.8.2024 को किया गया था और अब दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर 15.1.2025 को फिर से स्थानांतरित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थिया प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यरत है। वर्तमान मामलों में अपीलार्थिया के पति जिला टोंक में कार्यरत हैं और अपीलार्थिया का स्थानान्तरण तहसील उनियारा किया गया है, जबकि अपीलार्थिया के छोटे-छोटे बच्चे हैं जो मालपुरा में अध्ययनरत हैं जिनकी देखभाल हेतु परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है, जबकि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में मामले की वर्तमान परिस्थिति एवं अपीलार्थिया के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समिचीन समझते हैं कि अपीलार्थिया अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर नजदीकी पांच रिक्त पद दर्शाते हुए आगामी एक सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत

करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर अभ्यावेदन में दर्शाये गये रिक्त पदों पर विचार करते हुए नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)